



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 263 राँची, बुधवार, 27 ज्येष्ठ, 1942 (श०)
17 जून, 2020 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

17 जून, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942 (शक)

संख्या 318/रा.स.-मल्टी/2020 - निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 24 के उप-नियम (2) के खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार, आयोग ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि किसी भी निर्वाचक, जिसे आयोग के दिनांक 17.06.2020 के पत्र संख्या 318/रा.स.-मल्टी/द्विवा./2020 में अनुदेशों के अनुसार, राज्य सभा के मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र जारी किया गया है और जो कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भरती है, द्वारा प्रपत्र 13क में घोषणा के अनुप्रमाणन के प्रयोजनार्थ संबंधित निर्वाचक का उपचार करने वाला चिकित्सा अधिकारी उक्त घोषणा को अनुप्रमाणित करने हेतु प्राधिकारी होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

17th June, 2020/Jyaishta 27, 1942 (Saka)

No. 318/CS-Multi/2020: - In terms of the provisions of clause (e) of sub-rule (2) of Rule 24 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission has specified that for purpose of attestation of declaration in Form 13A by an elector who is hospitalized on account of COVID-19 and who has been issued with Postal Ballot Paper by the Returning Officer for the current biennial elections to the Council of States as per the instruction in Commission's letter No. 318/CS-Multi/BIEN/2020 dated 17.06.2020, the Medical Officer attending to the elector concerned shall be the authority to attest the said declaration.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary
